

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर राजस्थान

अर्जुन वगै०

बनाम

केदार वगै०

मा नं० :- 117/2025

| दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---------------------------|---|-------------|
| 24.06.2025 | <p>पत्रावली पेश हुई। वकील उपभ पक्ष उपस्थित। शेष अप्रार्थी सं० 1 लगायत 3 अनुपस्थित। शेष अप्रार्थीगणों को बार-बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया गया। लेकिन उपस्थित नहीं। अतः अप्रार्थी सं० 1 लगायत 3 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील अप्रार्थी सं० 5 लगायत 9 ने जवाब पेश नहीं किया। अतः जवाब बन्द किया जाता है। वकील उभय पक्षों की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 25.06.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट जमवारामगढ</p> | |
| 25.06.2025 | <p>पत्रावली पेश हुई। वकील उभय उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस का मनन किया गया। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए बिन्दु सं० 1 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 1095/1 रकबा 3.7939 है० वाकै ग्राम गठवाडी, पटवार हल्का गठवाडी, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर की चारों तरफ (चारों दिशाओं) की मुकमिल पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया।</p> <p>अतः पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी का प्रार्थना पत्र, पैरोकार सरकार के जवाब/रिपोर्ट, अप्रार्थी सं० 4 के जवाब एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज० भू-राजस्व अधि० को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार जमवारामगढ को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण की ग्राम गठवाडी, पटवार हल्का गठपवाडी, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1095/1 रकबा 3.7939 है० में यदि मौके पर फसल न हो एवं कोई स्थगन आदेश न हो तो प्रार्थी एवं अप्रार्थीगणों की मौजूदगी में पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें। पत्थरगढी की आड में बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावें। अगर किसी पडौसी खातेदार द्वारा आपत्ति करते हैं तो उन्हें सुनवाई का उचित अवसर प्रदान कर पत्थरगढी की कार्यवाही की जावें। निर्णय की प्रति तहसीलदार को भिजवाई जावें।</p> <p>निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों।</p> <p style="text-align: center;">उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट जमवारामगढ</p> | |